रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246863
CG-DL-E-30062023-246863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2696] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2023/आषाढ़ 7, 1945
No. 2696] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023/ASHADHA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून , 2023

का.आ. 2818(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 2561 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 के द्वारा जारी की गयी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में उपबंध है कि जब भी केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना जनहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्या का.आ. 2561(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1985 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना जनहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और (3) के खंड (v) और खंड (xiv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में, जो अधिसूचना संख्याक का. आ. 2561(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गया थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा: अर्थात्:-

"(i) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'।

[फा. सं. 25/2/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2561(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2023

S.O. 2818(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 2561 (E), dated the 22 August 2013;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government as of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1985 for amending the notification number 5.0.2561 (E), dated the 22 August, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2561 (E), dated the 22nd August, 2013, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, in consultation with local people and in accordance with this notification within a period of two years from the publication of this amendment notification".

[F. No. 25/2/2012-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2561(E), dated the 22nd August, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.06.30 14:28:55 +05'30'